बिल का सारांश

महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) बिल, 2023

- महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) बिल, 2023 को 8 दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। बिल महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व एक्ट, 1970 में संशोधन करने का प्रयास करता है। एक्ट अपार्टमेंट्स की इमारतों के पुनर्विकास का प्रावधान करता है। अपार्टमेंट की परिभाषा में निवास, कार्यालय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के हिस्से शामिल हैं। यह बिल 23 अक्टूबर, 2023 को जारी महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है।
- **पुनर्विकास के लिए अपार्टमेंट्स को खाली करना**: एक्ट के तहत, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को पुनर्विकास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकांश अपार्टमेंट मालिकों की सहमति आवश्यक है। बिल में कहा गया है कि प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद सभी अपार्टमेंट मालिकों को पुनर्विकास हेतु अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे।
- **वैकल्पिक अस्थायी आवास या किराया**: अपार्टमेंट मालिकों के संघ या डेवलपर को सभी अपार्टमेंट मालिकों को ऐसे आवास के बदले में वैकल्पिक अस्थायी आवास या किराया देना होगा।
- **अपार्टमेंट खाली न करने पर बेदखली संभव**: अगर कोई अपार्टमेंट मालिक अपना अपार्टमेंट खाली करने से इनकार करता है, तो संघ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से अनुरोध कर सकता है कि ऐसे अपार्टमेंट मालिक को बेदखल कर दिया जाए। संबंधित अपार्टमेंट/इमारत के किसी भी हिस्से पर बेदखली का नोटिस चिपकाया जाएगा और इसे पर्याप्त सूचना माना जाएगा। बिल पुलिस को यह अधिकार देता है कि वह मालिक को बेदखल करने के लिए इमारत/अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए उचित बल का उपयोग कर सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

तन्वी विप्रा
tanvi@prsindia.org

8 दिसंबर, 2023